

4/8/20. पत्रा पेश डूरी वकिल उमम पक्ष दा जिरे। उरि सं. 3
 9 व 10 की नलकी रजिस्टर्ड पेश नही डूरी है
 न्यायाधीश से अंतिम अपसर दिया जाता है आगा
 पेशी नही आयेगी नी पालना नही होने पर पालना
 उ अभाव से दाया स्वयं खारिज हो जायेगा
 सहकार्य केन्द्र

01/09/2024

पत्रावली पेशा डूरी। वकिल उमम पक्ष उपण।
 वकील वादी प्रतिवादी सं० 9 व 10 की नलकी हेतु
 आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड दाजी मप समन
 तलबना पेशा करें अन्तव्या प्रकरण में निपट
 आगापी लारी पर अन्तर्गत 0.9, R.5 CPC
 के तहत खारिज कर दिया जावेगा वादने पाव-
 नार्थ न्यायालयी आदेश पत्रावली दिनांक 06/9/2024 को
 पेशा है।

सहकार्य केन्द्र (द्वितीय) सीकर

6/9/24

पत्रावली पेशा डूरी/वकील वादी/उमम पक्ष
 हजिर पीअसीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार
 दिनांक... 30/9/24 ...को पेशा है।

30/09/2024

पत्रावली पेशा डूरी। वकील उमम पक्ष
 उपण। वकील वादी दिनांक 01/09/2024 को प्रदन
 हिदायत के आवजूद न्यायालयी सुनवाई समाप्ति
 उमम पक्ष प्रतिवादी सं० 9 व 10 की नामीले
 पेशा करने में असफल रहे हैं। अतः वकील
 वादी की Non-compliance उ ममनजर दा

अन्तर्गत 0.9, R.5 CPC धारा 13(1) के अन्तर्गत
 जाता है। पत्रावली केसल शुभारंभ
 होकर नखर से कम हो लया
 बाद तत्काल दाखिल दफ्तर हो।
 निम्नलिखित स्थानों में सुनाया

गया

दिनांक 30/09/2021
 (मुनेशा कुमारी)
 RAS
 सहायक कलक्टर
 द्वितीय (सीकर)